राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
विकास खण्ड शासनसचिवालय जयपुर ई–मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in, se[illegible]1123@gmail.com दूरभाष नम्बर 0141–2227275

एफ.4 (33)परावि / पी.सी. / जजयो / बजट / 2014–15 / 1333 जयपुर दिनांकः– 07-07-2015

– आदेश –

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13 (192) परावि / विधि / अव. / 12 / 197 दिनांक 26.2.13 के द्वारा जनता जल योजनान्तर्गत अंशकालीन पम्प चालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 18.2.2013 की पालना में तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर की 50 प्रतिशत राशि के बराबर रूपये 83/– प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति जारी की गई थी।

श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर 189/– प्रतिदिन कर दी गई है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में जनता जल योजना के पम्प चालकों को देय मजदूरी दर 83/– रूपये प्रति दिन को संशोधित करते हुये रूपये 94.50 प्रति दिन की दर से माह में अधिकतम 26 दिवस हेतु रूपये 2457/– प्रति माह भुगतान करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह दरें 1 जुलाई 2015 से लागू होगी तथा भुगतान राज्य वित्त आयोग (SFC) के तहत प्राप्त ग्रान्ट से वहन किया जावेगा। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 331500418 दिनांक 24.6.2015 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही हैं।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
8. प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)